भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1739
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चंडीगढ़ के आस-पास तेजी से हो रहा शहरीकरण

†1739. श्री मनीश तिवारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को चंडीगढ़ और इसके शहरी क्षेत्रों, विशेषकर खरड़ जैसे शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो जैव-विविधता को हानि, जल स्तर में गिरावट और इस क्षेत्र में बढ़े हुए प्रदूषण स्तरों सहित पारिस्थितिकीय संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) चंडीगढ़ की योजनाबद्ध शहरी विरासत के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का चंडीगढ़ में और इसके आस-पास शहरीकरण, पर्यावरणीय वहनीयता और कृषि संरक्षण में संतुलन बनाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने सूचित किया है कि व्यवस्थित तरीके से उपयोग और विकास को विनियमित करने के लिए वर्ष 2015 में मास्टर प्लान अधिसूचित किया गया है। चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 में विभिन्न विरासत जोन, विरासत परिसर और इमारतों को अधिसूचित किया गया है। यह चंडीगढ़ में इन स्थलों/जोनों के संबंध में विशिष्ट विकास नियंत्रण और

विनियमों का प्रावधान करता है। प्रशासन ने शहर के विरासत पहलू की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ विरासत संरक्षण समिति को भी अधिसूचित किया है।

पंजाब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 'पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952' भूमि के उपयोग को विनियमित करने तथा 16 किलोमीटर परिधि में अनधिकृत और अनियोजित शहरीकरण को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका लक्ष्य नए राजधानी शहर के योजनाबद्ध भावी विस्तार को सुनिश्चित करना तथा इसके आसपास अनियोजित निर्माण को रोकना था।

इसके अलावा, जनसंख्या वृद्धि की उभरती जरूरतों को पूरा करने, पूरे क्षेत्र के योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और अव्यवस्थित, अनियमित और अनियोजित विकास को रोकने के लिए, एक व्यापक क्षेत्रीय योजना, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) (2008-2058) को अधिसूचित किया गया, जो पूरे परिधि नियंत्रित क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें खरड़ शहर भी शामिल है।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि पंजाब राज्य में चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में छह अन्य मास्टर प्लान (साहिबजादा अजीत सिंह (एसएएस) नगर, न्यू चंडीगढ़, खरड़, डेरा बस्सी, जीरकपुर, बनूर) अधिसूचित किए गए थे, जो आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और संस्थागत क्षेत्रों जैसे व्यापक भूमि उपयोग का प्रावधान करते हैं - जहां इस तरह का विकास किया जा सकता है, साथ ही इस तरह के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए ट्रंक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है।

इस क्षेत्र में विकास मास्टर प्लान के ज़ोनिंग विनियमों, पंजाब शहरी नियोजन और विकास भवन नियम 2021 और पंजाब सरकार द्वारा विकास को विनियमित करने के लिए आवासन और शहरी विकास विभाग के विभिन्न अधिनियमों (पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1995 और पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995) के तहत तैयार किए गए नीति दस्तावेजों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

इसके अलावा, जैसा कि पंजाब राज्य द्वारा सूचित किया गया है, इस क्षेत्र में मास्टर प्लान तैयार करते समय जैव विविधता हानि, जल स्तर में कमी और प्रदूषण के बढ़ते स्तर सहित पारिस्थितिकीय संतुलन के पहलुओं पर विचार किया गया है। इसके अलावा, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों, प्राकृतिक नालों, जल संसाधनों और पर्यावरणीय कारकों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि वन क्षेत्र, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र, प्रमुख सड़कों के साथ हरित पट्टी को मास्टर प्लान में चिह्नित किया गया है। जल स्तर में कमी को ध्यान में रखते हुए, वर्षा जल संचयन के प्रावधान मौजूद हैं जो पंजाब शहरी नियोजन और विकास भवन नियम 2021 के तहत सभी श्रेणियों के भवनों के लिए अनिवार्य है।

*****